सत्यमेव जयते

भारत सरकार
परमाणु ऊर्जा विभाग
राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ

विज्ञापन संख्या : आरआरकेट- 2/2016

दिव्यांग व्यक्तियों हेतु विशेष भर्ती अभियान

आवेदन-पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि : 04.04.2016

राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र, इन्दौर (म.प्र.) में योग्य अभ्यर्थियों से निम्नलिखित पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन-पत्र आमंत्रित किए जाते हैं :-

पद कोड	पीडब्ल्यूडी/05
पद का नाम	तकनीकी अधिकारी/सी (भौतिकी)
वेतनमान	पे बेंड - 3 : ` 15600-39100 ग्रेड पे ` 5400 + यथादेय अन्य भत्ते
पद की संख्या	01 - दृष्टिबाधित हेतु आरक्षित (वी एच)
आवश्यक शैक्षणिक योग्यताएं	न्यूनतम 60 % कुल अंकों के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/तकनीकी शिक्षा बोर्ड/केन्द्र अथवा राज्य सरकार के संस्थान से भौतिकी/अनुप्रयुक्त भौतिकी में एम.एस.सी. (विज्ञान में स्नातकोत्तर) अभ्यर्थी के पास बी.एस.सी. (विज्ञान में स्नातक) या सहायक तथा / अथवा अनुषंगी स्तर पर भौतिकी एवं गणित विषय रहे हों । पांच वर्षीय एकीकृत एम.एस.सी. (विज्ञान में स्नातकोत्तर) मामले में, एम.एस.सी. के साथ-साथ बी.एस.सी. की डिग्री न्यूनतम 60 % कुल अंकों के साथ होना चाहिए
चयन/भर्ती प्रक्रिया	व्यक्तिगत साक्षात्कार

पद कोड	पीडब्ल्यूडी/06
पद का नाम	तकनीकी अधिकारी/सी (इलेक्ट्रॉनिक्स)
वेतनमान	पे बेंड - 3 : ` 15600-39100 ग्रेड पे ` 5400 + यथादेय अन्य भत्ते
पद की संख्या	01 - श्रवण बाधित हेतु आरक्षित (एच एच)
आवश्यक शैक्षणिक योग्यताएं	न्यनतम 60 % कुल अंकों के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/तकनीकी शिक्षा बोर्ड/केन्द्र राज्य सरकार के संस्थान से इलेक्ट्रॉनिक्स / इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इंस्ट्रूमेंटेशन / इलेक्ट्रॉनिक्स एवं टेलीकम्यूनिकेशन इंजीनियरींग में बी.ई./बी.टेक./बी.एस.सी.(इंजीनियरींग)/5 वर्षीय एकीकृत एम.टेक.
चयन/भर्ती प्रक्रिया	व्यक्तिगत साक्षात्कार

नोट : 1) नि:शक्तता की परिभाषा DoPT OM सं. 36035/3/2004-Estt(Res) दिनांक 29.12.2005 के उल्लेखित के अनुसार है ।
2) आरक्षण हेतु नि:शक्तता की श्रेणी : केवल वे ही व्यक्ति पात्र होंगे जिन्हें सेवा / पद हेतु संबंधित समुदाय के होने की शर्तों में छूट प्राप्त है एवं संबंधित नि:शक्तता 40% से कम नहीं होनी चाहिए ।

आयु में छूट : केवल मेट्रीकुलेशन प्रमाण पत्र/ म्यूनिसिपल जन्म प्रमाण पत्र में अंकित जन्म दिनांक ही स्वीकार की जाएगी । इस बारे में किसी अन्य विकल्प संबंधी अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा ।

आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 04.04.2016 पर आयु सीमा : न्यूनतम 18 वर्ष - श्रेणीवार अधिकतम आयु में छूट इस प्रकार है :-

अधिकतम आयु				**टिप्पणी**
अजा	**अजजा**	**अपिव**	**अनारक्षित**	
42	42	40	37	पद अनन्य रूप से नि:शक्त अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित है

जम्मू-कश्मीर राज्य के कश्मीर संभाग के मूल अधिवासी जो नि:शक्त हैं : उन सभी व्यक्तियों को ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी जो जम्मू कश्मीर राज्य के कश्मीर संभाग में दिनांक 1 जनवरी 1980 से 31 दिसंबर 1989 तक की अवधि के दौरान अधिवासी रहे हैं, परन्तु किसी भी परीक्षा में भाग लेने हेतु ऊपरी आयु सीमा में छूट संबंधित नियमों के अंतर्गत उचित अवसरों की अधिकतम संख्या के अनुसार दी जाएगी । प्रमाण पत्र निम्नलिखित अधिकारी द्वारा जारी होना चाहिये :

i) जम्मू कश्मीर संभाग के जिला मजिस्ट्रेट से जिसके क्षेत्राधिकार में वे मूलरूप से या सामान्यत: रहते थे । **अथवा**
ii) कोई अन्य प्राधिकारी जो जम्मू कश्मीर सरकार की ओर से पदनामित किया गया हो उनको इस आशय का प्रमाण-पत्र देना होगा कि वे जम्मू कश्मीर राज्य के कश्मीर संभाग में दिनांक 1 जनवरी 1980 से 31 दिसंबर 1989 की अवधि के दौरान मूलरूप से अधिवासी थे ।

1984 के दंगों में मारे गए व्यक्तियों के बच्चों/परिवार के सदस्यों को ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। इस आशय का सबूत प्रस्तुत करना होगा कि 1984 के दंगों में वे प्रभावित हुए थे।

नि:शक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों के प्रमाणपत्र के लिए महत्वपूर्ण आवश्यकताएं :

i) केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 31/12/1996 को अधिसूचित अशक्त व्यक्ति (समान अवसर, संरक्षण अधिकार और पूर्ण सहभागिता) नियमावली, 1996 के अनुसार अशक्त व्यक्ति (समान अवसर, संरक्षण अधिकार और पूर्ण सहभागिता) अधिनियम, 1995 (1996 का 1) की धारा 73 की उपधारा (1) तथा (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा अशक्तता प्रमाणपत्र विधिवत रूप से जारी किया जाना चाहिए। केन्द्र/राज्य सरकार कम से कम तीन सदस्यों का एक मेडिकल बोर्ड गठित करें जिनमें कम से कम एक सदस्य संबद्ध क्षेत्र का विशेषज्ञ हो।

ii) जिन अभ्यर्थियों में अशक्तता अस्थाई तौर पर है, उनके लिए प्रमाण-पत्र 5 वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा। जहाँ कहीं अशक्तता की मात्रा में परिवर्तन की संभावना रहेगी वहाँ प्रमाण-पत्र की वैधता की अवधि मेडिकल बोर्ड दर्शाएगा। वे जिन्हें स्थाई अशक्तता है तो वैधता को स्थाई दर्शाया जा सकता है। अभ्यर्थियों के अभ्यावेदन पर, मेडिकल बोर्ड सभी तथ्यों और मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपने निर्णय की समीक्षा कर सकता है और ऐसे आदेश जारी कर सकता है जो मामले के लिए उचित होंगे।

iii) अजा/अजजा/अपिव से संबंधित व्यक्तियों का चयन अन्य अभ्यर्थियों के साथ बगैर किसी छूट के मेरिट में होता है तो उन्हें अनारक्षित श्रेणी में माना जाएगा। बर्शते यह पद नि:शक्तजन से संबंद्ध श्रेणी में आता हो।

सामान्य अनुदेश :

1. अभ्यर्थी जिन्होंने आवेदन प्राप्त होने की अंतिम दिनांक तक शैक्षिक योग्यता प्राप्त नहीं की है / नहीं करेंगे, तो वे आवेदन के पात्र नहीं होंगे अत: उन्हें आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।

2. अगर विश्वविद्यालय द्वारा ग्रेड/सीजीपीए/ओजीपीए प्रदान किया जाता है तो उन्हें विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत मानकों के अनुसार समकक्ष प्रतिशत में भी अंकित करें। ऐसा न करने की स्थिति में अभ्यर्थी के साक्षात्कार के बारे में विचार नहीं किया जाएगा।

3. बाहर से आने वाले सभी बेरोज़गार अभ्यर्थियों को आने जाने का लघुतम मार्ग का रेल से द्वितीय श्रेणी अथवा बस किराया उनके द्वारा पेपर टिकिट एवं बेरोज़गार प्रमाण पत्र जो कि सांसद/विधायक/राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत् रूप से हस्ताक्षरित हो, प्रस्तुत करने पर नियमों के तहत् यथादेय भुगतान किया जाएगा। अगर रियायती टिकिट उपलब्ध है तो किराये का भुगतान रियायती टिकिट तक ही सीमित होगा।

4. ऐसे आवेदन पत्र जो विज्ञापन में उल्लेखित आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है, उन्हें अस्वीकार करने की संभावना है। जैसे, जो आवेदन निधारित प्रपत्र में नहीं है, अपूर्ण, अहस्ताक्षरित, बिना फोटो, बगैर स्वप्रमाणित सभी अंकसूचियों की प्रतियां, पास प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ओबीसी मामले में नॉन क्रिमीलेयर एवं जम्मू कश्मीर मूल निवासी मामले में आवासीय प्रमाण पत्र की प्रतिलिपियां इत्यादि। साक्षात्कार / नियुक्ति में चयन न होने की स्थिति में कोई भी पत्राचार नहीं किया जाएगा।

5. जिस पद हेतु आवेदन किया है, उसके लिफाफे के ऊपर अंकित करें। अन्यथा उस पर विचार नहीं किया जाएगा।

6. उम्मीदवार को अपने आवेदन पत्र में प्रस्तुत सूचनाओं के आधार पर साक्षात्कार में शामिल किया जाएगा। अत: उन्हें ये सलाह दी जाती है कि वे आवेदन से पूर्व सभी अर्हताओं को पूरा कर लें। अगर बाद में आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना गलत अथवा आवेदक संबंधित पद हेतु सभी पात्रताएं पूरी नहीं करता है तो ऐसे आवेदक की उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है एवं इस विषय में कोई पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा। साक्षात्कार हेतु जारी बुलावा पत्र जारी करने मात्र से ही कोई नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। नियुक्ति सभी पात्रताओं को पूरी करने पर निर्भर होगी।

7. भारत सरकार में नियुक्ति हेतु अजा/अजजा/अपिव/नि:शक्त अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित प्रमाण पत्र को ही भरा जाना चाहिए, जो आरआरकेट की वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं।

8. अजा/अजजा/अपिव संबंधित अभ्यर्थी अपने आवेदन में स्पष्ट रूप से इसका उल्लेख करें एवं इसका प्रमाण विनिर्दिष्ट प्रपत्र में संलग्न करें। ऐसा न करने पर उन्हें अनारक्षित श्रेणी के तहत माना जाएगा बाद में समुदाय श्रेणी में परिवर्तन संबंधी किसी अभ्यावदेन पर विचार नहीं किया जाएगा। अपिव संबंधी मामले में प्रमाण पत्र पर विशेष तौर से यह उल्लेख होना चाहिए कि वह Dopt OM No. 36033/1/2013-Estt.(Res.) dated 27.05.2013 में उल्लेखित किसी भी क्रिमीलेयर में नहीं आते हैं।

9. आरआरकेट के पास पद को भरने अथवा पूरी भर्ती प्रक्रिया को बिना किसी पूर्व सूचना या कोई कारण बताए रद्द / प्रतिबंधित/ संशोधित/ परिवर्तित करने का अधिकार सुरक्षित है।

10. उपरोक्त विज्ञापन में दर्शाए गए रिक्त पद सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से भरे जाएंगे और यदि निर्णय लिया गया तो पद न भी भरे जा सकते हैं। अन्यथा समय-समय पर जारी सरकारी आदेशों की शर्तें लागू रहेंगी।

11. इस विज्ञापन के तहत चयनित किए गए अभ्यर्थियों को आरआरकेट, इंदौर में पदस्थापित किए जाने की संभावना है, किन्तु उन्हें भारत के किसी भी स्थान और परमाणु ऊर्जा विभाग की किसी भी संघटक इकाई में कार्य करना होगा ।
12. केन्द्र/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/ स्वशासी निकाय में कार्यरत व्यक्तियों को अपने आवेदन उचित माध्यम से प्रस्तुत करने चाहिए । हालांकि, वे अपने आवेदन की अग्रिम प्रति ऊपर वर्णित संलग्नकों के साथ अंतिम दिनांक से पहले नीचे दिए पते पर भेज सकते हैं । साक्षात्कार में शामिल होने के समय उन्हें अपने नियोक्ता से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र साथ लाना होगा ।
13. उपरोक्त पदों के तहत नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों को भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग की दिनांक 22.12.2003 की अधिसूचना सं एफ.सं. 5/7/2003-ईसीबी एवं पीआर के तहत यथा अधिसूचित नई अंशदायी पेंशन योजना (01.01.2004 से लागू) के अंतर्गत शामिल किया जाएगा ।

आवेदन कैसे करें :

(i) आवेदन-पत्र यहां दिए गए प्रपत्र में प्रस्तुत करना चाहिए । अभ्यर्थी, जो ऑन-लाइन आवेदन करना चाहते हैं, कृपया वेबसाइट <http://www.rrcat.gov.in/hrd/Openings/ Current_Openings.html> देखें । ऑन लाइन आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि के एक सप्ताह पूर्व बंद हो जाएगी । अभ्यर्थी जो (ऑन-लाइन सॉफ्टवेयर का उपयोग करके) ऑन लाइन आवेदन कर रहे हैं, को आवेदन की हस्ताक्षरित प्रतिलिपि नीचे दर्शाए गए पते पर संबंधित प्रमाणपत्रों की प्रतियों के साथ भेजना होगी । आवेदन की हार्ड कॉपी आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि को अथवा इससे पूर्व पहुंच जाना चाहिए ।

सहायक कार्मिक अधिकारी (भर्ती)
राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र
डाकघर-केट, इंदौर - 452013 (म.प्र)

लिफाफे पर इस प्रकार लिखा जाना चाहिए :

	पद सं.	पद	विज्ञापन सं.
...............पद के लिए आवेदन	**पीडब्ल्यूडी/______**		**आरआरकेट 2/2016**

(ii) आवेदन-पत्र ए-4 आकार के पेपर में टंकित होगा तो अच्छा रहेगा

(iii) अभ्यर्थियों को उनके स्वयं के हित में यह सलाह दी जाती है कि वे अपने आवेदन-पत्र स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक से भेजे

प्रमाणपत्रों की प्रतिलिपियां :

अभ्यर्थी को अपने आवेदन-पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाणपत्रों की स्वप्रमाणित (सिर्फ एक) प्रति संलग्न करनी चाहिए :-

i) अभी हाल ही का पासपोर्ट आकार का स्वप्रमाणित फोटो जो आवेदन पत्र के दाएं हाथ के ऊपर कोने में चिपकाया गया हो
ii) शैक्षणिक योग्यताएं (उपयुक्त अंकसूचियां जिनमें परीक्षा में लिए गए विषय दर्शाए गए हों) से संबंधित प्रमाणपत्र
iii) जन्म-तिथि प्रमाणपत्र
iv) निर्धारित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र जिसमें यह दावा किया गया हो कि आवेदक अजा/अजजा/अपिव/पीडब्ल्यूडी से संबंधित है
v) अपिव अभ्यर्थियों के संबंध में नॉन क्रिमीलेयर व वैधता प्रमाण पत्र जो एक वर्ष की अवधि के भीतर जारी किया गया हो
vi) 1984 के दंगों से प्रभावित होने का प्रमाण
vii) जम्मू कश्मीर राज्य के कश्मीर संभाग में दिनांक 1 जनवरी 1980 से 31 दिसंबर 1989 की अवधि के दौरान मूलरूप से अधिवासी होने का प्रमाण पत्र (अगर वे कश्मीर संभाग के लिए आयु में छूट चाहते हैं)

चयन न किए गए अभ्यर्थियों का रिकार्ड चयन सूची तैयार करने की तिथि से छ: माह के पश्चात् नहीं रखा जाएगा

पूर्ण सूचना एवं ऑनलाइन आवेदन करने हेतु कृपया **<http://www.rrcat.gov.in/hrd/Openings/Current_Openings.html>** देखें ।

चेतावनी : किसी भी प्रकार की सिफारिश को अयोग्यता माना जाएगा

****